न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः—उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः—176 / 2019
वादपत्र अन्तर्गत धारा :—88 आरटीए

1. रामकुमार पुत्र श्री काशीराम जाति जाट निवासी भाखरावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. अजय कुमार पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी भाखरावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3. अभय कुमार पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी भाखरावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

वादीगण

बनाम

1. काशीराम पुत्र ईशरराम
2. रूकमणी
3. शिमला } पुत्रीयां काशीराम
4. सिलोचना

} समस्त जाति जाट निवासीगण भाखरावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

5. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :—
1— श्री राजेश बुडानियां वकील वादीगण
2— श्री महेन्द्र सिह भाखर — वकील प्रति सं. 1 ता 4

निर्णय दिनांक :— 16.10.2019

अधिवक्ता वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण का पंजीयत पता सिविल प्रकिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानो के अनुसार वही है जो वाद र्शीषक मे दर्ज है। वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। प्रतिवादी संख्या 1 वादी संख्या 1 का पिता व वादी संख्या 2 ता 3 के दादा है। प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के नाम चक 1 केएसडी के जमाबन्दी सम्वत 2068 से 2071 खाता संख्या 24 / 14 खाता काशीराम में 7.769 है. राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त खाता की जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है। वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त परिवार की भूमि है। उक्त भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का हक व हिस्सा जन्म से बनता है। उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को विरासतन प्राप्त हुई है। प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ने अपने हक व हिस्सा का परित्याग वादीगण 1 ता 3 के बहिब के हिसाब से कर दिया है। हम वादीगण का प्रतिवादी संख्या 1 के बराबर हक व हिस्सा बनता है। इसी अनुसार वादीगण खातेदार कश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। वाद पत्र की चरण संख्या 2 मे वर्णित भूमि मे हम वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 को विरासतन प्राप्त हुई है। उक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण ने काफी समय पूर्व घरू विभाजन कर लिया था मुताबिक घरू विभाजन वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। कब्जाकाश्त बाबत हम वादीगण व प्रतिवादीगण का कोई विवाद नहीं है। किन्तु रकबा सांझा होने के कारण सींव बट व मालिकाना व आबियाना तथा टयूबैल के कनेक्शन लेने में कठिनाई का सामना करना पड रहा है। मुताबिक कब्जा काश्त वादीगण अपना खाता अलग कायम करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। वादीगण इसी अनुसार खातेदार काश्तकार मानकर इसी अनुरूप खाता अलग से कायम करवा

दो तो प्रतिवादी संख्या 1 पहले तो टालमटोल करता रहा किन्तु बाद में वादीगण की बार मानने से स्पष्ट्तया इन्कार हो गया बस यही वाद कारण है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने जरिये अधिवक्ता जवाबदावा पेश कर वाद को स्वीकार किया जो शामिल पत्रावली किया गया। जवाब दावा के साथ पक्षकारों की आईडी की चित्रप्रतियां स्वहस्ताक्षरित पेश किया। प्रतिवादी संख्या 5 स्टेट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। वकील वादीगण एवं प्रतिवादीगण साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है इसलिए साक्ष्यवादी एवं प्रतिवादी बन्द किये गये। वकील वादीगण ने शान्ती देवी पत्नी काशीराम के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति मय काशीराम के वारिसान तस्तदीक प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत भाखरावाली से जारी पेश किया। जो शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादीगण ने फार्म नं. 3 के साथ विरास्तन साक्ष्य में चक 1 केएसडी के नामान्तरण संख्या 68 की प्रति पेश की है तथा चक 1 केएसडी की जमाबन्दी सम्वत 2068–2071 खाता संख्या 24/14 खाता काशीराम वगेरा प्रदर्श–1 करवाई गई जो शामिल पत्रावली है।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादीगण ने कथन किया कि चक 1 केएसडी के खाता संख्या 24/14 काशीराम में दर्ज है जो हमारी जद्दी जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि वादीगण के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किया जावे है। पैतृक सम्पति साबति करने हेतु बतौर साक्ष्य में वकील वादीगण ने चक 1 केएसडी के नामान्तरण संख्या 68 की प्रति चित्रप्रति पेश की है के आधार पर वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित होने से वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादीगण ने वारिसान तस्दीक हेतु प्रस्तुत काशीराम के वारिसनामा के अनुसार वादपत्र में पक्षकार संयोजित किये गये है। चक 1 केएसडी की जमाबन्दी सम्वत 2068–2071 खाता संख्या 24/14 खाता काशीराम, जमान्दी सम्वत 2056–2059 खाता सख्या 126/128 खाता शान्ती वगैरा, नकल नामान्तरण पंजिका ग्राम 1 केएसडी इन्तकाल संख्या 78 से वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने आपस में आराजी की घोषणा बाबत सहमति के जवाबदावा पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादीगण साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वाद वादीगण मुताबिक सहमति के जवाबदावा व पैतृक सम्पति के साक्ष्य के आधार पर काबिल स्वीकार होने से स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण मुताबिक सहमति के जवाब दावा के आधार पर वाद वादीगण निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि :– प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि चक 1 केएसडी के खाता संख्या 24/14 जमाबन्दी सम्वत 2068 से 2071 में वादीगण को 3/4 हिस्सा बहिब का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का उक्तानुसार हिस्सा कम किया जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिग्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 16.10.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
पीठासीन अधिकारीः–उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 176/2019

1 रामकुमार पुत्र श्री काशीराम जाति जाट निवासी भाखरावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2 अजय कुमार पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी भाखरावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3 अभय कुमार पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी भाखरावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

वादीगण

बनाम

1 काशीराम पुत्र ईशरराम
2 रूकमणी
3 शिमला } पुत्रीयां काशीराम
4 सिलोचना
} समस्त जाति जाट निवासीगण भाखरावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
5 तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री राजेश बुडानिया वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री महेन्द्र सिह भाखर वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती हैः– प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि चक 1 केएसडी के खाता संख्या 24/14 जमाबन्दी सम्वत 2068 से 2071 में वादीगण को 3/4 हिस्सा बहिब का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का उक्तानुसार हिस्सा कम किया जाने के आदेश दिये जाते है

नोटः– उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निज.....नल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक..... अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 16.10.2019 को जारी किया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2019.11.25 17:02:22 IST
Reason: SelfAttested
Location: